(क) जी हां।

दिनांक ३० सितम्बर, २०२० तक कोविड-१९ से संक्रमित व ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण कुल ३२ चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों की मृत्यु हुई तथा मृत्यु के उपरान्त ०९ कोरोना वारियर्स के परिजनों को बीमित राशि दी गई। यह धनराशि दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी द्वारा सीधे दावा कर्ताओं के खाते में जमा करा दी जाती है।

(ख) ०१ कोरोना वारियर्स के परिजनों का दावा स्वीकृत है लेकिन दावा कर्ताओं में विरोधाभास के कारण धनराशि निर्गत नहीं की गई है।

१३ कोरोना वारियर्स के परिजनों के दावे दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड में परीक्षणाधीन है।

०५ कोरोना वारियर्स के परिजनों का दावा का प्रपत्र अपूर्ण है।

०१ कोरोना वारियर्स के परिजनों का दावा अस्वीकृत हो गया है।

०३ कोरोना वारियर्स के परिजनों के दावे अस्वीकृत हो जाने के पश्चात् पुनर्विचार हेतु दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को पुनः प्रेषित किया गया है।

जय प्रताप सिंह,
मंत्री,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।